13/5/2017

पत्रावली अन्तर राज्य खण्ड अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान दिनांक पत्रावली कक्ष में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एवं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8 से 26 सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम हर्ज हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को व अन्य खाते में दर्ज 5 नाम हर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा आसावा पटवार हल्का पत्रावली कक्ष तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 41 में वर्णित आराजियात किता 24 कुल रकबा 7-10 बीघा एवं खाता संख्या 39 में वर्णित आराजियात किता 30 कुल रकबा 10-12 बीघा भूमि में हंसा, धन्ना, बाबु, अम्बा पिता भेरा 1/8 के बजाये अमरा पिता हंसा जरातिया 1/16 व बाबु पिता भुरा जरातिया 1/16 लिखे जाने का आदेश दिया जाता है इसी प्रकार खाता संख्या 40 व 42 में दर्ज पिता शावरा के नाम पर हर्ज हिस्से में 1/2 हिस्से का वादी अमरा पिता हंसा व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 बाबु पिता भुरा जरातिया को खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार डिक्री पत्र जारी किया जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

27.7.17 निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

27.7.17 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी होने से प्रकरण दि० 26/10/17 को पेश है

26.10.17 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी होने से प्रकरण दि० 08/01/18 को पेश है